

25-5
18

काका) काका काका पाटन शरीर में पैदा हुई।
वही सुखदेवता ने प्र. का 06 R 17 व सुखदेवता
15 (क 152 पैदा किया) (वही सुखदेवता) ने प्रयोग का
में सुखदेवता किया कि (क 152 से का 15 व सुखदेवता)
में सं. नं. 601 के स्थान पर 106 (किया गया) जिसे
सुखदेवता किया जावे (प्रयोग का दिनांक 28.7.17 स्वीकार
किया जावे) का 152 व सं. नं. 601 में सं. नं. 106
के स्थान पर सं. नं. 601 सुखदेवता के सुखदेवता किया
जावे है। (सुखदेवता सुखदेवता जारी है।) (का)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प, पाटन, झारखण्ड
पीठासीन अधिकारी :- बलवन्तसिंह लिग्री, आर.ए.एस.

उनवान

जगमाल कौर

बनाम

राजस्थान सरकार

दावा बाबत अनर्गल चाली- 88, 89 राज. सहा. अधी. 1955

मुकदमा नम्बर :- 205/3-03-2013

निर्णय दिनांक :- 19-06-2015

वादी की ओर से नरेश कुमार की व प्रतिवादी की ओर से प्रेमाल की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19-06-2015 को बलवन्तसिंह लिग्री (नाम पीठासीन
अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश
किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

विषयगत आदेशानुसार हाल प. नं. 136, 230, 231, 106, 602, 704, 706, 1105, 1106,
1107, 690 वाले ग्राम में पाटन अधीन तह. कोटकासिम में वादी जगमाल सिंह पुत्र
बुधराम के स्थान पर जगमाल पुत्र दाताराम तथा ओमप्रकाश पुत्र दाताराम
के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र बुधराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए
जाते हैं जो कि जगमाल पुत्र दाताराम और ओमप्रकाश पुत्र बुधराम के पालिसान
के नाम तदनुसार राजस्व रिमाई में अग्रिम किया जावे त्रिगुण आग
दिये के 19-06-2015 को खुले में पं. कोर्ट में सुनाया गया

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी
गई।

(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे